

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2 गवर्नमेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता-700 001.

O.O.No.Admn.I/MACPS/Vol.VII/18

दिनांक: 16.05.2025

कार्यालय आदेश

डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2015-Estt. (D) दिनांक 22.10.2019 तथा मुख्यालय कार्यालय परिपत्र सं. 42-स्टाफ विंग-2020 प्राप्त पत्र सं. 1027-Staff (Entt.I)/78-2020 दिनांक 15.10.2020 के अंतर्गत, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को संशोधित आश्रित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12/स्तर 11 सी.सी. एस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जाती है।

क्र.सं.	नाम (श्री/सुश्री)	पदनाम	प्रथम/द्वितीय/ तृतीय एमएसीपी के अंतर्गत लाभ	प्रभावी तिथि	स्वीकार्य वेतन मैट्रिक्स	नियुक्त कार्यालय
1.	श्री सुभाषिस सेन	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	तृतीय	23.08.2025	स्तर 12	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.
2.	श्री राकेश बसु	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	तृतीय	21.09.2025	स्तर 12	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.
3.	श्री प्रद्युत कुमार राय	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	द्वितीय	20.11.2019	स्तर 11	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.
4.	श्री कमलेश कुमार	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	द्वितीय	01.04.2025	स्तर 11	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.

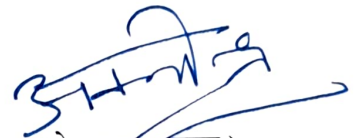
वेतन निर्धारण के लिए विकल्प सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार इस आदेश की तिथि से एक महीने के भीतर प्रयोग किया जा सकता है।

एमएसीपी का लाभ देने की शर्त यह है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता/न्यायालयीन मामला लंबित नहीं है। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध डीओपीटी के

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.09.1992 में उल्लिखित प्रकार का कोई मामला लंबित है या वेतन वृद्धि रोकने जैसा कोई दंड लागू है, तो एमएसीपी के तहत वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा और इसकी सूचना तुरंत इस कार्यालय के प्रशा.1 अनुभाग को दी जाए।

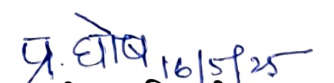
//प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार का आदेश दिनांक: 16.05.2025

डीएजी (प्रशा.) के सचिवालय की फाइल में रखा गया//


उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रति:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 700001
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 700064
3. सचिव, उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I एवं प्रशा./उप महा. (ए.एम.जी.-II)/ उप महा. (ए.एम.जी.-III)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.- IV)
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.2/ प्रशा 3/ प्रशा 4/प्रशा 5/ ए.एम.जी.-I (मुख्यालय) /ए.एम.जी. -II (मुख्यालय)/ ए.एम.जी.-III-गैर-एल.ए.डी./ ए.एम.जी. -IV (मुख्यालय) / एफ.ए.डब्लू/ प्रतिवेदन/ ई.सी.पी.ए. /डी.ए.स)
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय एम.एस.ओ. बिल्डिंग, पंचम तल, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700064
6. संबंधित व्यक्ति
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)
8. अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ई.डी.पी. अनुभाग
9. सूचना पट्ट


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)